# कार्यालय आयुक्त
# आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
# छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./101/2018–19/9684 रायपुर,दिनांक 14-01-19

**<u>वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन में तिथि वृद्धि हेतु विज्ञप्ति</u>**

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जिनको विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2018–19 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति **(कक्षा 12वी से उच्चतर)** के आवेदन ,स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही **tribal.cg.gov.in/escholarship** वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। किंतु पोर्टल का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हो रहा है कि आज दिनांक को भी कई विद्यार्थियों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

अतः शेष विद्यार्थियों हेतु आवेदन करने एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लाक करने हेतु निम्नानुसार समय–सीमा में वृद्धि की गई है :–

| क | प्रकिया | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1 | विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) | दिनांक 16.01.2019 से 30.01.19 तक |
| 2 | Draft Proposal Lock करने हेतु | दिनांक 16.01.19 से 20.02.19 तक |
| 3 | Sanction Order Lock करने हेतु | दिनांक 16.01.19 से 11.03.19 तक |
| 4 | संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु | दिनांक 25.03.19 तक |

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2018–19 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं draft proposal अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :– पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 12वीं से उच्चतर) अनु.जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में National Scholarsip Portal (scholarships.gov.in) पर आवेदन किया जा चुका है ,उन्हें भी पुनः विभाग की वेबसाइट **(tribal.cg.gov.in/escholarship)** पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

**( एलेक्स पॉल मेनन )**
**संचालक**
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर